FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0190 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/07/2025 16:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/04/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 15:20 बजे **Time To (समय तक):** 12:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/07/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/07/2025 16:18:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 430 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KARYALYA UP NIDESHAKMAHILA AVAM BAL VIKAS VIBHAG,, JILA PRATAPGARH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHAVANA LAOHAR

(b) Wife's Name (पत्नी का नाम): JHAMAK LAOHAR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MUKAM POST CHUPANA, ARNOD, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MUKAM POST CHUPANA, ARNOD, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAGIRATH RAIDAS		पिता:GODOOJI RAIDAS	1. F15,HANUMAN NAGAR,PRATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2025 समय करीब 3.20 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत की जरिये वाट्सअप कॉल पर परिवादिया श्रीमती भावन लौहार पत्नी श्री झमक लौहार उम्र 30 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट चुपना तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ से समय करीब 3.07 पी.एम. पर वार्ता हुई जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त परिवादिया से वार्ता की गई तो परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि "पूर्व में काफी वर्षों तक महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ के अधीनस्थ आंगनवाडी केन्द्र बडवास खुर्द मे सहायिका के पद पर कार्यरत रही थी उसके बाद आंगनवाडी केन्द्र चूपना प्रथम में आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर मेरा चयन लगभग 4 माह हो चुका है तथा मुझे प्रतिमाह वेतन की राशि मेरे खाते में जमा हो रही है। आंगनवाडी केन्द्र चूपना प्रथम पर आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु मैने माह अगस्त-2024 में आवेदन किया था, आवेदन पत्र के साथ मैने मेरी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज लगाये थे तथा मैने ए.एन.एम. की डिग्री करने के लिए आवेदन किया था उसके आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मैने आंगनवाडी कार्यकर्ता पद के आवेदन पत्र के साथ लगाई थी। मेरा आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन होने के उपरान्त मैं विधिवत रूप से आंगनवाडी केन्द्र चूपना प्रथम पर अपनी नियमित सेवाए दे रही हूँ, अब मुझे महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ में पदस्थापित श्री भागीरथ जी प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे धमकी देकर नौकरी से हटाने की बोल रहे है तथा उनके परिचित श्री गणपत जी (पटेल बा) के साथ मुझे सूचना भिजवाई की 2 लाख रूपये दे दो नहीं तो नौकरी से हटा दूगा उसके बाद मै प्रतापगढ़ कार्यालय पर जाकर श्री भागीरथ जी से मिली तो उन्होने मेरे से शारिरिक सम्बन्ध बनाने के लिए कहा तथा कहा कि या तो शारिरिक सम्बन्ध बनाने के लिए एग्री हो तो पैसे नहीं लगेगे अन्यथा 2 लाख रूपये दे सकती हो तो नौकरी से नहीं हटाउगा। उक्त मामला रिश्वत राशि का पाये जाने से मांग सत्यापन का पाया जाने से परिवादिया भावना लौहार को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत पूर्वक समझाया गया जिस पर परिवादिया ने बताया कि मै महिला हूँ और प्रतापगढ़ से उदयपुर आने में असमर्थ हूँ आप किसी को प्रतापगढ़ भेज दो मै मेरे गांव से दिनांक 24.04.2025 को प्रातः जल्दी रवाना होकर प्रतापगढ़ मिल जाउगी उसके पश्चात् उनको मेरी ओर से कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देकर मांग सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती है। इस पर श्रीमती भावना लौहार को श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल नम्बर बताये गये तथा उसको कहा कि श्री दलपत सिंह को मे आज ही प्रतापगढ़ के लिए रवाना कर रही हूँ जो तुम्हारे से कल दिनांक 24.04.2025 को प्रातः सम्पर्क कर लेगे तुम उन्हे प्रतापगढ़ पर ही मिल जाना। तत्पश्चात् समय करीब 3.30 पी.एम. कार्यालय में पदस्थापित श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी को तलब कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मगवाया गया तथा श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार द्वारा बताये गये तथ्यो के बारे में अवगत करवाया गया तथा निर्देश दिये कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर आज ही प्रतापगढ़ के लिए रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुचकर दिनांक 24.04.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार से प्रातः सम्पर्क कर परिवादिया से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर उसके पश्चात् रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की हिदायत दी गई तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के मोबाईल नम्बर दिये जाकर श्री दलपत सिंह को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्रतापगढ़ के लिए रूकसत किया गया। तत्पश्चात् 24.04.2025 समय करीब 01.30 पी.एम.पर श्री दलपत सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि मै आपके निर्देशानुसार दिनांक 23.4.2025 को उदयपुर से रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुचा तथा रात्रि विश्राम प्रतापगढ़ मे ही करने के उपरान्त दिनांक 24.04.2025 को प्रातः 9.30 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार से जरिये वाट्सअप काल सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मै अभी मेरे गांव चूपना हूँ तथा मै मेरे पति श्री झमक लौहार के साथ मोटरसाईकिल से रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुच जाउँगी। जिस पर परिवादिया भावना लौहार को बस स्टेण्ड के पास नगरपालिका परिसर में स्थित गार्डन में मिलने हेतु कहा गया। उसके बाद समय करीब 10.15 ए.एम. पर श्रीमती भावना लौहार व उसका पति श्री झमक लौहार मोटरसाईकिल से नगरपालिका परिसर के पास आये तथा मुझसे सम्पर्क किया जिस पर मै उनसे मिला तो श्रीमती भावना लौहार ने एक लिखित रिपोर्ट मुझे दी। तत्पश्चात् उसकी रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाना उचित होने से श्रीमती भावना लौहार को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड के संचालन की विधि समझाई गई। तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती

भावना लौहार व उसके पति श्री झमक लौहार को उनकी मोटरसाईकिल से नगरपालिका गार्डन परिसर से कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ से कुछ दूरी पहले रूकने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मै उनके पीछे पीछे रवाना होकर समय करीब 12.45 पी.एम. पर कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ से पहले मुख्य सड़क पर पहुचे, तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन बातचीत हेतु मै स्वंय अकेली ही कार्यालय में जाकर श्री भागीरथ जी से बातचीत करूगी तथा बताया कि श्री भागीरथ जी बहुत ही बदमाश और चालक व्यक्ति है यदि मेरे पति मेरे साथ उसके कार्यालय में जायेगे तो वह मेरे से रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्ता नहीं करेगा। तत्पश्चात् कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन सम्बन्धित समझाईश की गई तथा समय करीब 12.50 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ की ओर रवाना किया तथा मै उक्त कार्यालय के आसपास मुकिम रहा, कुछ समय पश्चात् महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ कार्यालय के अन्दर से बाहर सडक पर आये तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार व एक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे उसके बाद जिस व्यक्ति से परिवादिया श्रीमती भावना लौहार सडक पर बातचीत कर रही थी उसके मोटर साईकिल लेकर चले जाने के बाद वहा से चलकर समय करीब 1.20 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ के बाहर से मेरे पास आकर मुझको ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जो चालू अवस्था मे था जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि मै महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ कार्यालय मे गई तो श्री भागीरथ जी व एक दो उनके स्टाफ वाले साथ बैठे थे तथा भागीरथ जी ने मेरे से मेरे आगनवाडी कार्यकर्ता आवेदन पत्र के बारे मे बातचीत की तथा बातचीत करने के बाद उन्होने मुझे उसकी आंखो से ईशारा कर कार्यालय के बाहर सडक पर जाने का हाथ से ईशारा किया तत्पश्चात् मै कार्यालय के अन्दर से बाहर भागीरथ जी के साथ साथ सडक पर आई जहां उन्होने मेरे से आंगनवाडी कार्यकर्ता पद से नौकरी से नहीं हटाने की एवज् में उनके सहित चार व्यक्तियों के लिए 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे द्वारा काफी हाथा जोडी व विनती की तथा 2 लाख से कुछ राशि कम करने के लिए कहा किन्तु वह नहीं माने तथा 1.50 लाख रूपये रिश्वत के जल्दी देने व शेष 50,000 रूपये महिना 15 दिन में देने हेतु कहा। उसके बाद वह मोटरसाईकिल से चलकर रवाना हो गये। उसके बाद भावना लौहार की वार्ता मन् पुलिस निरीक्षक से भी करवाई तो उसने उक्त समस्त हालात की ताईद कर बताया कि श्री भागीरथ जी ने मुझे जल्दी ही रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा है और मैं जल्दी ही पैसे लेकर उनके पास नही गई तो वह मुझे नौकरी से हटाने की कार्यवाही करेगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया को दिनांक 25.04.2025 को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर करीब 10.00 ए.एम. पर प्रतापगढ़ धरियावद रोड़ पर एकान्त स्थान पर मिलने हेतु कहा गया जिस पर परिवादिया ने बताया कि मैं पूरी कौशिश करके जितनी हो सके रिश्वत राशि की व्यस्था कर कल मिल जाउंगी। जिस पर परिवादिया को आवश्यक हिदायत देकर वही से उसके पति झमक लौहार के साथ रूखसत किया गया तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 2.30 पी.एम. पर श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व परिवादिया श्रीमती भावना लौहार से हुई बातचीत व रिश्वत राशि मांग सत्यापन हालात के अनुसार अग्रिम ट्रैप कार्यवाही दिनांक 25.04.2025 को आयोजित किये जाने से दो स्वतन्त्र गवाहान शीघ्र ही पाबन्द हेतु श्रीमान् आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर को ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक 760 दिनांक 24.04.2025 से प्रेषित कर जरिये दूरभाष वार्ता की गई। तत्पश्चात् समय करीब 3.00 पी.एम. पर श्रीमान् आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर का पत्रांक 1263 दिनांक 24.04.2025 से स्वतन्त्र गवाहान श्री अभय सिंह चुण्डावत भू अभिलेख निरीक्षक व श्री प्रकाश लाल डांगी राजस्व निरीक्षक को पाबन्द कर भिजवाने का प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 3.30 पी.एम. पर दिनांक 25.04.2025 को अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु इमदाद के लिए जाब्ता भिजवाने हेतु भ्रनिब्यूरो एसयू उदयपुर से मोहम्मद जाबिर उप निरीक्षक व भ्रनि ब्यूरो उदयपुर से श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 को भिजवाने हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया जाकर समय करीब 10.30 पी.एम. पर श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के उपस्थित ब्यूरो आये है जिन्होने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया जिसे कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा मांग सत्यापन की कार्यवाही के पश्चात् जरिये वाट्सअप कॉल हालात बताये गये जिसकी पुनः ताईद कर परिवादिया द्वारा उसके हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो प्रतापगढ़ पर मांग सत्यापन कार्यवाही से पूर्व श्री दलपत सिंह को सुपुर्द किया जो पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि "मैं प्रार्थिया श्रीमती भावना लौहार पत्नी श्री झमक लौहार उम्र 30 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट चुपना तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हू मै पूर्व में काफी वर्षो तक महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ के अधीनस्थ आंगनवाडी केन्द्र बडवाम खुर्द मे सहायिका के पद पर कार्यरत रही थी उसके बाद आंगनवाडी केन्द्र चूपना प्रथम में आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर मेरा चयन लगभग 4 माह हो चुका है तथा मुझे प्रतिमाह वेतन की राशि मेरे खाते में जमा हो रही है। आंगनवाडी केन्द्र चूपना प्रथम पर आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु मैने माह अगस्त-2024 में आवेदन किया

था, आवेदन पत्र के साथ मैने मेरी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज लगाये थे तथा मैने ए.एन.एम. की डिग्री करने के लिए आवेदन किया था उसके आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मैने आंगनवाडी कार्यकर्ता पद के आवेदन पत्र के साथ लगाई थी। मेरा आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन होने के उपरान्त मैं विधिवत रूप से आंगनवाडी केन्द्र चूपना प्रथम पर अपनी नियमित सेवाए दे रही हॅू। आज से करीब 1-2 दिन पूर्व श्री गणपतजी (पटेल बा) निवासी गन्देर तहसील व जिला प्रतापगढ़ जिनको मै भी जानती हॅू जो मेरे पास आये और उन्होने मुझे कहा कि श्री भागीरथ जी साहब ने मुझे कहा कि तुम भावना से बात करो उसने उसके आंगनवाडी कार्यकर्ता चयन पद आवेदन पत्र के साथ फर्जी डिग्री लगा दी है जिसकी शिकायत आई है, यदि भावना 2 लाख रूपये दे रही हो तो उसको नौकरी से नहीं हटाउगा अन्यथा रूपये नहीं दिये तो उसको नौकरी से हटा दूगा। यह बात करने के बाद भी श्री गणपतजी (पटेल बा) ने मुझे दो तीन बार फोन भी किये थे। मै उसके बाद श्री भागीरथ जी प्रशासनिक अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ के पास गई तो श्री भागीरथ जी ने मुझे कहा कि तुम्हारे को मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये एग्री हो तो पैसे नहीं लेगे अन्यथा 2 लाख रूपये की व्यवस्था करके सम्बन्ध बनाने के लिये एग्री हो तो पैसे नहीं लेगे अन्यथा 2 लाख रूपये की व्यवस्था करके पहुचा दो नही तो तुम्हारे को नौकरी से हटा दूगा तथा यह भी कहा कि यह रूपये मेरे अकेले के लिए नहीं है बल्कि इन रूपयो के बराबर-बराबर चार हिस्से होगे उसके बाद मै वापस मेरे गांव आ गई। चुकि मै अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हॅू तथा भागीरथ जी को मै रिश्वत राशि नहीं चाहती हॅू तथा भागीरथ जी मुझसे शारीरिक सम्बन्ध बनाने व रिश्वत राशि लेने के कारण बार-बार नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे है, जबकि मैने मेरे आंगनवाडी कार्यकर्ता चयन आवेदन पत्र मे किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं छूपाया है तथा उक्त आवेदन पत्र की जॉच भी श्री भागीरथ जी द्वारा ही करने के उपरान्त चयन हुआ था।" इस प्रकार मै रिश्वत राशि नहीं देना चाहती हॅू तथा रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हू। कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक 25.04.2025 समय करीब 6.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा श्री मांगीलाल कानि. भ्रनि. ब्यूरो उदयपुर व श्री मोहम्मद जाबिर उप निरीक्षक भ्रनि. ब्यूरो एसयू उदयपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाशलाल डांगी राजस्व निरीक्षक उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर तथा श्री अभयसिंह चुण्डावत भू अभिलेख निरीक्षक उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर उपस्थित आये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय दिया गया तथा ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की सहमति चाही गई तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान के अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती भावना लौहार की ओर से पेश कि गई लिखित रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 को पढाया गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादिया श्रीमती भावना लौहार व संद्विग्ध श्री भागीरथ प्रशासनिक अधिकारी के मध्य हुई वार्ता दिनांक 24.04.2025 जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को कार्यालय की अलमारी से श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से मंगवाया जाकर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये तो उक्त दोनो गवाहान द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की ताईद की गई। तत्पश्चात् 6.20 ए.एम. पर कार्यालय कक्ष से ट्रैप बाक्स श्री मूनीर मोहम्मद उप निरीक्षक से मगवाया जाकर उसे सुरक्षित तलबीशुदा प्राईवेट वाहन में रखवाया गया तथा कार्यालय के मालखाना कक्ष में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी को श्री मांगीलाल से मंगवाई जाकर उसको उसके पास सुरक्षित रखने हेतु हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 6.25 ए.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद, श्री दलपत सिंह व श्री अजय कुमार कानि. को प्राईवेट वाहन से आवश्यक हिदायत देकर प्रतापगढ़ की ओर रवाना किया तथा पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त गवाहान श्री अभय सिंह चुण्डावत व श्री प्रकाश लाल डांगी व ब्यूरो जाप्ता श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक, श्री मांगीलाल कानि. मय ट्रैप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री मय प्राईवेट वाहन के प्रतापगढ़ के लिये रवाना हुये। तत्पश्चात् समय करीब 10.00 ए.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद, श्री दलपत सिंह व श्री अजय कुमार कानि. को प्राईवेट वाहन से रवानाशुदा तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त गवाहान श्री अभय सिंह चुण्डावत व श्री प्रकाश लाल डांगी व ब्यूरो जाप्ता श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक, श्री मांगीलाल कानि. मय ट्रैप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से उदयुपर से रवानाशुदा धरियावद रोड स्थित मल्टीस्पेशिलीटी हॉस्पीटल प्रतापगढ़ के पास पहुच मुकिम रहे है तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार से जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर धरियावद रोड स्थित मल्टीस्पेशिलीटी हॉस्पीटल प्रतापगढ़ के पास आने हेतु कहा जिस पर उसने बताया कि मै मेरे पति के साथ कार से आ रही हॅू और शीघ्र ही आपके पास पहुच जाउँगी। तत्पश्चात् समय करीब 10.15 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार अपने पति श्री झमक लौहार के साथ निजी कार से धरियावद रोड स्थित मल्टीस्पेशिलीटी हॉस्पीटल प्रतापगढ़ पर के पास एकान्त स्थान पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुई जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो टीम के सदस्यों का परिचय देते हुए अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती भावना लौहार की रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादिया ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय अभाव को देखते हुए उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द पृथक से मुर्तिब की जायेगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर मांग सत्यापन वार्ता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सेव

किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 10.30 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को आरोपी श्री भागीरथ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि मै अल्प वेतन कर्मचारी हू तथा मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, श्री भागीरथ जी ने मेरे से नौकरी से नहीं हटाने की एवज् में दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 1.50 लाख रूपये अभी देना तय हुआ तथा 50,000 रूपये महिना-15 दिन में देने हेतु कहा है। मेरे द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद भी 50,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है तथा शेष 1 लाख रूपये के चिल्ड्रन नोट (डमी नोट) की व्यवस्था कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित आई हू। तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती भावना लौहार द्वारा अपने पास से 500-500 रूपये के 100 नोट भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट व 500-500 रूपये के 200 चिल्ड्रन नोट कुल 1,50,000 पेश किये। 500-500 रूपये के 100 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट पेश किये गये। उपरोक्त चिल्ड्रन नोटों की कुल 03 अलग-अलग गिड्डिया बनाई जाकर भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट जो कुल 50,000 रूपये को उपरोक्त 500-500 के नोट चिल्ड्रन गडियों के आगे पीछे लगाये गये। उपरोक्त सभी नोटो की गिड्यों पर श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 जिसके पास फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी थी जिसको निर्देशित किया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों की गडियों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 से लगवाया जाकर प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में रखवाये गये तथा उक्त प्लास्टिक की थैली पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के बेग की तलाशी स्वतन्त्र गवाहन श्री अभय सिंह चुण्डावत से लिवाई जाकर नोटों को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के बेग में कोई शैः नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री मांगीलाल कानि0 से ट्रेप बॉक्स में रखे एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाई जाकर पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादिया को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मांगीलाल कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादिया तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादिया से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को मांगीलाल कानि. से एक तरफ फिकवाया गया तथा अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मांगीलाल कानि. को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने बेग को कार्यालय से बाहर निकलकर सड़क पर खडे होकर नीचे गिराने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादिया तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादिया, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप दल को सुविधानुसार अपने-अपने फोन प्रयोग में लेने की हिदायत दी गई। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबून से दो बार धुलवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् समय करीब 11.00 ए.एम. पर दोनो स्वन्तत्र गवाहान के समक्ष श्री मांगीलाल कानि. को उक्त कार्यवाही में प्रयोग में लिया गया फिनोफ्थलीन पाउडर मय शिशी के उपरोक्त स्थान से भ्रनि. ब्यूरो इन्टे, उदयपुर के लिए रूकसत किया गया। इसके बाद समय करीब 11.30 ए.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद, श्री अजय कुमार कानि., व श्री दलपत सिंह के साथ परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को प्राईवेट वाहन से कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ से कुछ दूरी पर रूकने की हिदायत देते हुए रवाना किया गया तथा पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकाश डांगी व श्री अभय सिंह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक सहित जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक मय आवश्यक संसाधन के मल्टीस्पेशिलीटी हॉस्पील प्रतापगढ के पास से रवाना होकर समय करीब 11.36 ए.एम. पर महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ से पूर्व मुख्य सड़क पर रूके तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को वाहन से उतारकर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ की ओर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रैप के सदस्यगण परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के निर्धारित ईशारे की इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय करीब 11.55 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ से

बाहर निकलकर बिना कोई निर्धारित ईशारा किये हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान के पास आई जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड चालू अवस्था में सुपुर्द किया जिसे श्री दलपत सिंह ने बन्द कर ट्रैप बाक्स में सुरक्षित रखा तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया मै महिला बाल विकास विभाग कार्यालय प्रतापगढ़ में गई तो वहा पर श्री भागीरथ जी उपस्थित नहीं थे जिस पर मैने वहा उपस्थित स्टॉफ वालो से उनके बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि अभी आये नहीं है कुछ समय बाद आयेगे। जिस पर मै उक्त कार्यालय से बाहर निकलकर आई हू। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्यों सहित परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को साथ लेकर पुनः मल्टीस्पेशिलीटी हॉस्पीटल प्रतापगढ़ की तरफ समय करीब 12.05 पी.एम. पर रवाना होकर समय करीब 12.10 पी.एम. पर मल्टीस्पेशिलीटी हॉस्पीटल प्रतापगढ़ के पास एकान्त स्थान पर पहुचकर मुकिम रहे। तत्पश्चात् समय करीब 01.02 पी. एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद, श्री अजय कुमार कानि., व श्री दलपत सिंह के साथ परिवाद्रिया श्रीमती भावना लौहार को प्राईवेट वाहन से कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ से कुछ दूरी पर रूके तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकाश डांगी व श्री अभय सिंह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक सहित जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ से पूर्व मुख्य सड़क के लिए रवाना होकर समय करीब 1.08 पी.एम. पर महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ से पूर्व मुख्य सड़क पर रूके तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को वाहन से उतारकर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ की ओर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रैप के सदस्यगण परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के निर्धारित ईशारे की इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय करीब 01.22 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार कार्यालय महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ से बाहर निकलकर बिना कोई निर्धारित ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान के समक्ष उपस्थित आई जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू अवस्था में सुपुर्द किया जिसे श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास रखा। तत्पश्चात् श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि अभी-अभी कुछ समय पूर्व महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ कार्यालय में गई तो वहां पर श्री भागीरथ जी मुझे मिले थे तथा वहां उनके अलावा दो-चार स्टॉफ वाले भी बैठे थे जिनसे मैने मेरे आगनवाडी कार्यकर्ता के नियुक्ति के समय आवेदन पत्र के साथ एएनएम डिग्री हेतु किये गये आवेदन पत्र की प्रति इत्यादि के बारे में बातचीत की परन्तु वह बातो ही बातो में मेरे से गाली गलौच व अभ्रद भाषा का प्रयोग किया तत्पश्चात् मै वहां से निकलकर आपके समक्ष उपस्थित आई हू। परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि श्री भागीरथ जी के अलावा ऑफिस में दो चार स्टाफ वाले ओर थे जिसके कारण उन्होने अभी मेरे से रिश्वत राशि के रूपये नहीं लिये तथा मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार वह उनके प्राईवेट व्यक्ति परिचित गणपतजी (पटेल बा) को देने हेतु कहा है इसलिए मेरे से सीधे ही अभी रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है, चूंकि श्री गणपतजी (पटेल बा) को मे भी जानती हूँ तथा वह बुजुर्ग व्यक्ति है मै इस मामले में उनको रूपये देकर उन्हे नहीं फंसाना चाहती हूँ। श्री भागीरथजी बहुत ही चालक और बदमाश व्यक्ति है तथा वह किसी अन्य के मार्फत ही रिश्वत राशि ग्रहण करने मंशा लग रही है। आईन्दा पुनः उनके द्वारा रिश्वत राशि के लिए सूचित करने पर मै आगे की कार्यवाही करवाने के लिए तैयार हू। तत्पश्चात् परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के बेग में रखी रिश्वर राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए को थैली सहित उसके बेग से स्वतन्त्र गवाह श्री अभय सिंह से निकलवाई जाकर एक अन्य अखबार में लपेटकर एक प्लास्टिक की थैली में रखवाये जाकर सुरक्षित रखे गये तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमतीं भावना लौहार को आवश्यक हिदायत दी गई की जब भी आरोपी श्री भागीरथजी द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रैप कार्यवाही की जा सकें। परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 2.00 पी.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद, श्री अजय कुमार कानि., व श्री दलपत सिंह को प्राईवेट वाहन से भ्रनि. ब्यूरो इन्टे उदयपुर से रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्य श्री मोहम्मद जाबिर मय ट्रैप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि संसाधन के मौके से उदयपुर के लिए रवाना समय करीब 6.30 पी.एम. पर ब्यूरो इन्टे उदयपुर पर आये तथा उक्त ट्रैप बाक्स को मालखाने में व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखा गया तथा दोनो गवाहान को गोपनीयता बरतन की हिदायत देकर निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यवाही में ब्यूरो द्वारा जब भी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तत्समय आपको तलबी करने पर कार्यालय पर शीघ्र उपस्थित होवे। तत्पश्चात् दिनांक 05.05.2025 एवं दिनांक 14.05.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार से से मन् पुलिस निरीक्षक के मध्य हुई जरिये वाटसअप वार्ता के दौरान बताया कि श्री भागीरथ जी मेरे को नौकरी से हटाने के लिए कार्यवाही कर रहे है ऐसा मेरे सुनने में आया है तथा उनके द्वारा मुझसे अभी तक रिश्वत राशि की ना ही तो मांग की गई है ना ही उनके द्वारा मुझसे सम्पर्क किया गया है जैसे ही वो सम्पर्क करेगे में आपको सूचित कर दूगी जिस पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् दिनांक 19.05.2025 को समय करीब 02.25 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्रीमती भावना लौहार व उसके पति श्री झमक लौहार उपस्थित आये है, परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि श्री भागीरथ जी

प्रशासनिक अधिकारी को मेरे द्वारा करवाई जा रही ट्रैप कार्यवाही की भंनक लग गई जिसके कारण वह मेरे से काफी नाराज चल रहे है और मुझे नौकरी से हटाने की कार्यवाही कर रहे है तथा अभी-अभी कुछ दिन पहले उनके परिचित गणपत जी पटेल बा ने मुझे कहा कि भागीरथ जी तेरे से नाराज चल रहे है, और अब वह तेरे से रूपये नहीं लेगे तथा तुझे हटाने की कार्यवाही कर रहे है। परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने बताया कि श्री भागीरथ जी प्रषासनिक अधिकारी द्वारा दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान मेरे से 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की है उक्त मांग सत्यापन कार्यवाही के अनुसार श्री भागीरथ जी के विरूद्व अब तक की कार्यवाही अनुसार जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनती है वह कार्यवाही करावे। तत्पश्चात् समय करीब 2.30 पी.एम. पर उक्त कार्यवाही में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेन देने वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट तैयार करने व मूल मेमोरी कार्ड जप्ती पेनड्राईव तैयार करने की कार्यवाही किया जाना है जिसके लिए दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अभय सिंह चुण्डावत व श्री प्रकाशलाल डांगी को कार्यालय में शीघ्र तलबी हेतु सूचित किया गया जिस पर समय करीब 2.50 पी.एम. पर दोनो गवाहान श्री अभय सिंह व प्रकाश लाल डांगी कार्यालय आयुक्त उदयपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर उपस्थित आये। जिन्हे उपस्थित परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के समक्ष अग्रीम कार्यवाही हेतु कार्यालय के मालखाने से श्री मूनीर मोहम्मद को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मंगवाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 24.04.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार व आरोपी श्री भागीरथ के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ कार्यालय के बाहर सड़क पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता एवं दिनांक 25.04.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार व आरोपी श्री भागीरथ के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन कार्यवाही के वक्त हुई वार्ता महिला बाल विकास विभाग प्रतापगढ पर हुई उक्त दोनो वार्ताओ की फर्द ट्रास्क्रीप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री अजय कुमार कानि. 456 से तैयार करवाई जाकर उक्त पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। तत्पश्चात् समय करीब 6.30 पी.एम. पर दिनांक 24.04.2025 व दिनांक 25-04-25 को परिवादिया व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन/लेन देन की कार्यवाही के वक्त हुई वार्ता जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हैश वेल्यू निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त मांग सत्यापन व लेन-देन कार्यवाही के वक्त की वार्ताओं का रिकॉर्डशुदा मेमोरी कार्ड जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगा हुआ है जो लेपटॉप से कनेक्ट कर तीन पेनड्राईव तैयार किये गये उक्त पेनड्राईव में एक मूल पेनड्राईव कीं हैश वेल्यू पृथक से निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल पेनड्राईव को उसके कवर में रखकर एक सफेद कपड़े की थेली में निमयानुसार रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क P अंकित कर किया जरिये फर्द कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा एक डब पेन ड्राईव व एक आई.ओ. पेनड्राईव तैयार किये जिस पर भी सम्बन्धितों हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखे गये। तत्पश्चात् समय करीब 6.40 पी.एम. पर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाशलाल डांगी व श्री अभय सिंह चुण्डावत के समक्ष एवं परिवादिया श्रीमती भावना लौहार के समक्ष दौराने कार्यवाही दिनांक 24.04.2025 व दिनांक 25.04.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार एवं आरोपी श्री भागीरथ के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन/लेन देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं उक्त दिनांक 24.04.2025 व दिनांक 25.04.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार एवं आरोपी श्री भागीरथ के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन/लेन देन रूबरू वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं की हैश वैल्यू कानि. श्री अजय कुमार कानि. से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में पूर्व से इन्सटॉल्ड एप्लीकेशन से निकलवाई जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा दिनांक 24.04.2025 व दिनांक 25.04.2025 को परिवादिया श्रीमती भावना लौहार एवं आरोपी श्री भागीरथ के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन/लेन देन रूबरू वार्ताओं के उक्त मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकॉर्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सीलडचिट किया जाकर मार्क- M अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 6.50 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती भावना लौहार ने उपस्थित दोनो गवाहान के समक्ष भी बताया कि श्री भागीरथ जी प्रशासनिक अधिकारी को मेरे द्वारा करवाई जा रही ट्रैप कार्यवाही की भंनक लग गई जिसके कारण वह मेरे से काफी नाराज चल रहे है और मुझे नौकरी से हटाने की कार्यवाही कर रहे है। अब उनके द्वारा मेरे से रिश्वत राशि लेना असंभव है। श्री भागीरथ जी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान मेरे से 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की है उक्त मांग सत्यापन कार्यवाही के अनुसार श्री भागीरथ जी के विरूद्व अब तक की कार्यवाही अनुसार जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनती है वह कार्यवाही करावे। चूंकि श्रीमती भावना लौहार परिवादिया के बताये अनुसार अब अग्रिम ट्रैप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से कार्यालय में उपस्थित श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से ट्रैप बाक्स में रिश्वत के रूप मे दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 50,000 व 500-500 रूपये के 200 डमी नोट (चिल्ड्रन नोट) मंगवाये जाकर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमती भावना लौहार को लौटाये जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय करीब 7.05 पी.एम. पर सीलडचिट शुदा मेमोरी कार्ड, पेनड्राईव इत्यादि को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखने हेतु श्री मुनीर मोहम्मद स.उ.नि. को निर्देशित

किया जाकर समय करीब 7.15 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अभय सिंह चुण्डावत भू अभिलेख निरीक्षक व श्री प्रकाशलाल डांगी राजस्व निरीक्षक तथा परिवादिया श्रीमती भावना लौहार आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरा कार्यालय से रूखसत किया गया। इस प्रकार उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट हुआ कि श्रीमती भावना लौहार परिवादिया का आंगनवाड़ी केन्द्र चूपना प्रथम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ द्वारा नियमानुसार चयन करने के उपरान्त महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ में पदस्थापित श्री भागीरथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा श्रीमती भावना लौहार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद से नौकरी से नही हटाने की एवज में रिश्वत राशि के रूप में दो लाख रूपये स्वयं तथा कार्यालय में पदस्थापित अन्य कार्मिकों के लिये मांग करना रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.04.2025 से प्रमाणित है। अतः श्री भागीरथ जी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) प्रभारी (पु.नि.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।.....................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत प्रभारी (पुलिस निरीक्षक)भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे,उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भागीरथ रैदास पिता स्व. श्री गोदूजी रैदास उम्र 59 वर्ष निवासी एफ 15 हनुमान नगर प्रतापगढ़ हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 663 पर अंकित है।(अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1083-86 दिनांक 24.7.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,उदयपुर, 2.-निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल इन्टे,उदयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/07/2025 17:10:18

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	31/01/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)